न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा आर ए एस

प्रकरण सख्या :– 12 / 2020 (2020 / 00037 जीसीएमएस)

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावला।

....वादी

बनाम

श्री मगर सिंह पुत्र फंगन सिंह जाति रामगढ़िया साकिन 8 एनएनबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

उपस्थितः– 1. वादी स्टेट की ओर से राजपैरोकार।
2. श्री मदन ज्याणी वकील प्रतिवादी।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1) अ
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 01.09.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) रावला ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177(1) अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12 केपीडी–बी की जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 के मुताबिक प.नं. 140 / 37 का किला नं. 3 ता 8, 12 ता 25 की 5.060 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा तथा प.नं. 140 / 38 का किला नं. 2 ता 9, 12, 13, 16, 22 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा इस प्रकार कुल 8.855 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा श्री मगर सिंह पुत्र फंगन सिंह जाति रामगढ़िया साकिन 8 एनएनबी तहसील पदमपुर खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि कहा जाएगा। पटवारी हल्का से उक्त विवादित भूमि की मौका की जांच रिपोर्ट मांगी गई। उक्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक उपरोक्त कृषि भूमि में से प.नं. 140 / 37 के किला नं. 16, 17 / 0.506, 18 / 0.127, 19 / 0.126, 20 ता 25 / 1.518 की 2.227 हैक्टेयर अनकमाण्ड तथा प.नं. 140 / 38 के किला नं. 2 ता 9, 12, 13, 16, 22 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 6.072 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा पर जिप्सम का अवैध खनन किया गया है। उक्त भूमि श्री मगर सिंह पुत्र फंगन सिंह जाति रामगढ़िया साकिन 8 एनएनबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त रकबा चक 12 केपीडी–बी के प.नं. 140 / 37 के किला नं. 16, 17 / 0.506, 18 / 0.127, 19 / 0.126, 20 ता 25 / 1.518 की 2.277 हैक्टेयर अनकमाण्ड तथा प.नं. 140 / 38 के किला नं. 2 ता 9, 12, 13, 16, 22 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 6.072 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

पर जिप्सम का अवैध खनन किया गया है। मौके पर अवैध खनन करने के गडडे पाये गये तथा उक्त भूमि को अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है जो आवंटन शर्तों के विरूद्ध होने के कारण खातेदारान की भूमि खारिज किया जाना न्यायोचित है। क्योंकि खातेदार ने कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर कानूनी प्रावधानों की उल्लंघना की है। अतः धारा 177(1) आरटी एक्ट के तहत कार्यवाही की जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को बिना अनुमति के अवैध रूप से अकृषि कार्य के उपयोग में लेने से राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से हल्का पटवारी के मार्फत आज से पूर्व सम्पर्क कर उक्त भूमि को धारा 177 (1) अ आरटीए के तहत अराजीराज दर्ज करवाने को कहा व अप्रार्थी को अकृषि कार्य नहीं करने को कहा तो स्पष्ट रूप से इन्कार हो गए। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि तहसील रावला के चक 12 केपीडी–बी के प. नं. 140/37 के किला नं. 16, 17/0.506, 18/0.127, 19/0.126, 20 ता 25/1. 518 की 2.277 हैक्टेयर अनकमाण्ड तथा प.नं. 140/38 के किला नं. 2 ता 9, 12, 13, 16, 22 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 6.072 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि को अवैध रूप से अकृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी द्वारा जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कथन मुझ प्रतिवादी के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 2 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी कृषि भूमि में 6.072 हैक्टेयर पर कोई जिप्सम खनन नहीं किया गया। महज हल्का पटवारी ने रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है। ना ही हल्का पटवारी ने मौका पर जाकर कोई फर्द मौका तैयार किया है एवं ना ही कभी हल्का पटवारी मौका पर गया। इस मद में वादी द्वारा अपने स्तर पर गलत बयानी की गई है। वाद पत्र की मद संख्या 3 गलत बयानी अस्वीकार है क्योंकि मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि में कभी भी किसी प्रकार से जिप्सम खनन नहीं किया गया है एवं ना ही भूमि में खड्डे है। हल्का पटवारी ने साईक्लोस्टाईल रिपोर्ट रंजिशवश तैयार की है। ना ही मुझ प्रतिवादी ने आवंटन शर्तों एवं कानूनी प्रावधानों की उल्लंघना की है। वाद पत्र की मद संख्या 4 गलत बयानी अस्वीकार है। वादी ने महज वाद कारण उत्पन्न करने के लिये अपने स्तर पर गलत बयानी की गई है। हल्का पटवारी मुझ प्रतिवादी से कब व किस दिनांक को मिला, ऐसा इस मद में कहीं वर्णित नहीं है एवं ना ही ऐसा

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

कोई रिकॉर्ड पेश किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि हल्का पटवारी हम प्रतिवादी से मिला हो। वाद पत्र की मद संख्या 5 कानूनी है। इसके बाद अतिरिक्त कथन किया गया कि वादी द्वारा उक्त वाद पत्र का बिना कोई मूल्यांकन किये एवं बिना न्याय शुल्क के माननीय न्यायालय में पेश किया गया है एवं वाद पत्र के साथ द्वितीय प्रति पेश नहीं की गई है एवं वादी द्वारा बिना किसी वाद कारण के उक्त वाद पत्र माननय न्यायालय में पेश किया गया है जो कि कानूनी प्रावधानों के तहत निरस्त योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा महज साईक्लोस्टाईल रंजिशवश रिपोर्ट करने पर वादी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिये वाद वादी इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः—

1. आया कि वादाधीन कृषि भूमि में अवैध रूप से जिप्सम खनन करके अकृषि कार्य में उपयोग लेकर भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का हकदार है?

...सिद्ध करने का भार वादी

2. आया कि वाद पत्र पटवारी के द्वारा रंजिशवश की गई रिपोर्ट पर बिना वादकरण के वाद पत्र पेश किये जाने पर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने के योग्य है?

...सिद्ध करने का भार प्रतिवादी

प्रकरण में तनकीयात कायम कर वादी एवं प्रतिवादी के साक्ष्य प्राप्त किये गये। साक्ष्य वादी में स्टेट की ओर से पटवारी श्री विजेन्द्र कुमार गोदारा का शपथ पत्र पेश किया गया एवं वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी मगर सिंह स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया एवं स्टेट की ओर से राजपैरोकार द्वारा जिरह की गई।

साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त पैरोकार उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजपैरोकार ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया एवं वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण नहीं है व कोई फर्द मौका रिपोर्ट नहीं है एवं ना ही आस पड़ौस के काश्तकारों के हस्ताक्षर हैं, पटवारी की दैनिक रिपोर्ट की प्रति भी पेश नहीं की गई , वादी द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाया गया, पटवारी रिपोर्ट भी प्रदर्श नहीं करवाई

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

गई। मेरे द्वारा खसरा गिरदावरी प्रदर्श करवाई गई है जिससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी द्वारा फसल काश्त की गई थी एवं उक्त विवादित भूमि पर केवल कृषि कार्य ही किया गया था। ऊबड़ खाबड़ जमीन को देखकर पटवारी द्वारा केवल कयास के आधार पर ही रिपोर्ट की गई जिसके आधार पर ही यह वाद पेश हुआ है। प्रतिवादी द्वारा अपनी उक्त वर्णित भूमि पर कभी कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का बिन्दुवार विश्लेषण निम्न प्रकार से पाया जाता है–

- **तनकी संख्या 1**: आया कि वादाधीन कृषि भूमि में अवैध रूप से जिप्सम खनन करके अकृषि कार्य में उपयोग लेकर भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर भूमि को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का हकदार है? को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से पटवारी का शपथ पत्र पेश किया गया है। पटवारी ने दौराने जिरह स्वयं यह कथन किया है कि मौका पर कोई फर्द मौका तैयार नहीं किया गया व न ही मौका पर किसी को खनन करते देखा है एवं विवादित भूमि में काफी रेतीले ऊंचे टीले हैं व मैंने भूमि को उबड़ खाबड़ देखकर ही कयास लगाया था कि वहाँ अवैध जिप्सम खनन किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। वादी द्वारा न तो मौका रिपोर्ट पेश की गई है एवं न ही पटवारी की दैनिक डायरी की प्रति पेश की गई है और न ही साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मौके पर बिना अनुमति के अकृषि कार्य किया गया था। इस प्रकार वादी की ओर से इस तनकी को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

3. **तनकी संख्या 2**: आया कि वाद पत्र पटवारी के द्वारा रंजिशवश की गई रिपोर्ट पर बिना वादकरण के वाद पत्र पेश किये जाने पर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने के योग्य है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी का शपथ पत्र पेश किया। दौराने जिरह प्रतिवादी अपने बयान में कहीं भी खण्डित नहीं हुआ है। बल्कि वादी के साक्षी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि न ही मौका पर किसी को खनन करते देखा है एवं विवादित भूमि में काफी रेतीले ऊंचे टीले हैं व मैंने भूमि को उबड़ खाबड़ देखकर ही कयास लगाया

उपखण्ड अधिका
घड़साना

था कि वहाँ अवैध जिप्सम खनन किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी के पास कोई ठोस वाद कारण मौजूद नहीं था। इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में पूर्णतः साबित किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीया बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विश्लेषण करने के उपरान्त वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.09.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर॰ए॰एस॰
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

01.9.22 पत्रावली पेश। पैरोकार उभयपक्ष उप०। बहस पर गौर करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद ~~[illegible]~~ वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना